स्कूल शिक्षा विभाग

मंथन – 2007 के संबंध में समीक्षा बैठक दिनांक 07.07.2007 के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	बेहतर क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन			
	(i) स्कूल शिक्षा के परंपरागत ढॉचे व सर्व शिक्षा अभियान के ढॉचे का एकीकरण।			
	• जिला एवं विकासखंड स्तर पर शिक्षा की जवाबदारी एक ही अधिकारी के अधीन की जाये।	01.04.2007	प्रशासकीय अनुमोदन हेतु नस्ती प्रस्तुती मे है।	नवीन समय सीमा 30 अगस्त, 07
	• समानांतर व्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाये।	01.04.2007	तदैव	तदैव
	(ii) प्रदेश में तकनीकी मानव संसाधन के नियोजित विकास के लिए एक नोडल एजेन्सी बनाई जाए जो प्रदेश, देश एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में जनशक्ति की आवश्यकताओं का सतत आंकलन करें।		स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं।	
	(iii) महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों में सांसद/विधायक/शिक्षाविद को अध्यक्ष रखा जाए एवं उक्त समितियों के द्वारा लिये गये निर्णयों के संदर्भ में आगे की समस्त कार्यवाही करने हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया जाए।		तदैव	
	(iv) इंजीनियरिंग कालेजों की जनभागीदारी समितियों की कार्यकारी समितियों का अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को बनाया जाए।		तदैव	

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
	(v) मध्यान्ह भोजन, भवन निर्माण कार्यों एवं गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की संलिप्तता से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित।	01.07.2007	मंथन समूह की अनुशंसा से स्कूल शिक्षा विभाग सहमत। चूंकि मध्यान्ह भोजन कार्य का प्रशासकीय विभाग ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय कल्याण विभाग है। अतः विभागीय पत्र क्र./प्र.स.स्कू.शि./2007/467, दिनांक 23.06.07 द्वारा संबंधित विभागों से मध्यान्ह भोजन का कार्य स्व–सहायता समूह एवं ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को सोंपने हेतु आदेश जारी करने का आग्रह किया जा चुका है। भवन निर्माण कार्य से प्रथक करने हेतु आदेश प्रक्रियाधीन है। गैर शिक्षकीय कार्यो में शिक्षको की संलिप्तता को रोकने बिषयक आदेश जारी किया जा चुका है।	शेष कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय कल्याण विभाग से अपेक्षित। **परिशिष्ट–1** **परिशिष्ट–3**
	(vi) सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माण कार्य पालक शिक्षक संघ के स्थान पर पंचायत को दिया जाये।	01.04.2007	मंथन समूह की अनुशंसा पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं मान. मुख्यमंत्रीजी से समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। अनुमोदन के अनुरूप आदेश जारी करना प्रक्रियाधीन है।	नवीन समय सीमा 30 अगस्त, 07
	(vii) निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग एवं रखरखाव का दायित्व पालक शिक्षक संघ को दिया जाये ।	01.04.2007	निर्माण कार्यों के रखरखाब का दायित्व पूर्व से ही पालक शिक्षक संघ को है। मानिटरिंग कार्य पालन शिक्षक संघ को सौंपने विषयक आदेश प्रक्रियाधीन हैं।	**परिशिष्ट–2**
	(viii) निर्माण कार्य की डिजाइन स्थानीय परिवेश के अनुरूप हो।	01.04.2007	निर्माण कार्य की डिजाईन स्थानीय परिवेश के अनुरूप रखने की स्वतंत्रता जिलों को दी गई है।	**परिशिष्ट–2**
	(ix) मध्यान्ह भोजन का कार्य क्रमशः स्व सहायता समूह को सौंपा जाये, शिक्षक को व्यवस्था संबंधी दायित्वों यथा खाद्य सामग्री इत्यादि लाने के कार्य से मुक्त किया जाये।	01.07.2007	मंथन समूह की अनुशंसा से स्कूल शिक्षा विभाग सहमत। चूंकि मध्यान्ह भोजन कार्य का प्रशासकीय विभाग ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय कल्याण विभाग है। अतः विभागीय पत्र क्र./प्र.स.स्कू.शि./2007/467, दिनांक 23.06.07 द्वारा संबंधित विभागों से मध्यान्ह भोजन का कार्य स्व–सहायता समूह एवं ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को सोंपने हेतु आदेश जारी करने का आग्रह किया जा चुका है।	शेष कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय कल्याण विभाग से अपेक्षित। **परिशिष्ट–1**
	(x) शिक्षकों को जनगणना एवं चुनाव के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैर शैक्षिक कार्य में न लगाया	01.04.2007	जन शिक्षा अधिनियम के तहत पूर्व से ही प्रावधान है। कड़ाई से पालन करवाये जाने की कार्यवाही प्रचलित	**परिशिष्ट–3**

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
	जाये।		है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परिपत्र क्र. 218/410/2007/20–2, दिनांक 07 फरवरी 2007 में निर्देश जारी।	
	(xi) शिक्षकों की अनधिकृत अनुपस्थिति ।			
	• शिक्षकों की अनधिकृत अनुपस्थिति को मॉनिटर किया जाये।	01.04.2007	आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा इन शालाओं के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी निर्देश ज्ञापन क्र./विद्या/ई/07/1158, दिनांक 28.07.07 द्वारा जारी किए जा चुके हैं।	**परिशिष्ट–4**
	• यदि कोई संविदा शाला शिक्षक एक माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी जॉच कर उनको दण्ड देने का प्रस्ताव जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के समक्ष अनुमोदन के स्थान पर अवलोकन के लिये रखा जाये।	01.04.2007	संविदा शाला शिक्षकों के भर्ती नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रचलित है। उसमें यह प्रावधान भी संशोधित करने का प्रस्ताव शामिल किया जा रहा है।	31 दिसम्बर, 2007
2	नवीन संस्था/पाठ्यक्रम खोलना			
	(i) नवीन संस्थाओं/पाठ्यक्रम को खोलने के लिये दूरी व आवश्यकता के आधार पर वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक आधार पर हो ताकि सीमित संस्थाओं का उपयोग सुनिश्चित हो सके।	01.04.2007	वर्ष 2007–08 में नवीन संस्थाओं को खोलने के लिये दूरी व जनसंख्या का मापदण्ड का पालन किया जा रहा है तथा भविष्य में भी इसका पालन सुनिश्चित किया जावेगा।	
	(ii) कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों एवं विषयों का युक्तियुक्तकरण।		स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं।	
	(iii) संस्थाओं को खोलने के लिए प्रोजेक्ट मोड हो जिसमें निर्धारित पद शिक्षक, भवन, प्रयोगशाला भवन की पूर्ति की पूर्ण व्यवस्था की जाए।	01.04.2007	वर्ष 2007–08 के बजट में 737 हाई स्कूल 185 हायर सेकेण्डरी संस्थाओं को खोलने में निर्धारित पद शिक्षक, भवन, प्रयोगशाला भवन की पूर्ति की पूर्ण व्यवस्था की जाकर अनुसंशा के अनुसार कार्रवाई पूर्ण करली गई है।	

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
	(iv) शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थओं में स्वीकृत रचनाक्रम अनुसार पदों की पूर्ति की जावे, स्टाफ की नियुक्ति की जाए।	01.04.2007	वर्ष 2007–08 के बजट में 737 हाईस्कूल एवं 185 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत रचनाक्रम अनुसार पदों की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है।	
	(v) जीरो बजट की शालाएं न खोली जाएं। जो जीरो बजट की शालाएं पूर्व से संचालित हैं व मापदण्ड पूर्ण करती हैं उनके लिए स्वीकृत रचनाक्रम अनुसार निर्धारित पदों को भरे जाने की व्यवस्था की जाये।	01.04.2007	वर्ष 2007–08 के बजट में ऐसी जीरो बजट की 337 हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएं जो पूर्व से संचालित हैं व मापदण्ड पूर्ण करती हैं उनके लिए स्वीकृत रचनाक्रम अनुसार निर्धारित पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।	
3	शिक्षकों की कमी			
	(i) भर्ती की प्रक्रिया का सरलीकरण			
	• शिक्षकों की भर्ती नियमित रूप से प्रतिवर्ष की जाये।	01.04.2007	जिलों को वर्ष 2007–08 में संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती के लिये 15181 रिक्त पदों का वितरण जिलों को किया जाकर समय सारणी निर्धारित की गयी है।15 अगस्त 2007 तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश है। (ज्ञापन दिनांक 25.6.2007)	**परिशिष्ट–5**
	• शिक्षकों की भर्ती के लिये NCTE द्वारा निर्धारित व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता (B.Ed.D.Ed) की वैधानिक अनिवार्यता का पालन।		संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती नियमों में संशोधित की कार्रवाई प्रचलित है।	नवीन समय सीमा 31 दिसम्बर, 2007
	• परीक्षा के आधार पर राज्य स्तर से ही मेरिट जारी की जाये	01.04.2007	तदैव	तदैव
	• मेरिट के आधार पर अभ्यार्थियों से जिलावार विकल्प के आधार पर नियुक्ति हेतु आवंटन किया जाये।	01.04.2007	तदैव	तदैव

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
	(ii) पदोन्नति से आरक्षित वर्ग की रिक्तियॉ न भरी जा सकना। आरक्षित पदों की पदोन्नति से पूर्ति न होने पर इन पदों को इन्हीं प्रवर्गों से सीधी भर्ती से भरे जाने पर विचार किया जाये।	01.07.2007	सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मांगी गई है।	नवीन समय सीमा 31 दिसम्बर, 2007
	(iii) सीधी भर्ती के रोक में छूट।			
	• शिक्षकीय तथा शैक्षणिक प्रशासन से जुड़े पदों यथा प्राचार्य हा.सै. स्कूल तथा उप संचालक शिक्षा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये सीधी भर्ती में लगी रोक में छूट प्रदान की जाएं।	01.07.2007	मंत्रि–परिषद् से छूट प्राप्त कर ली गई है। लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।	नवीन समय सीमा 30 अगस्त, 2007
	(iv) विषयमान (विज्ञान, गणित, तकनीकी शिक्षा) से शिक्षकों की अनुपलब्धता।			
	• विषयवार अतिथि शिक्षकों की सूची स्थानीय शाला द्वारा तैयार की जाए तथा इन्हें शिक्षक का पद रिक्त होने पर, अवकाश पर जाने पर, पठनपाठन का दायित्व सौंपा जाए।	01.07.2007	लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विषयमान से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।	**परिशिष्ट–6**
	• अतिथि शिक्षकों को समुचित मानदेय।	01.07.2007	प्रस्ताव वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजा गया है।	
	• शिक्षा महाविद्यालय एवं डाईट में विज्ञान, गणित विषयों के शिक्षकों के लिए बी.एड., डी.एड. में प्रवेश हेतु निर्धारित अंकों में कमी करने पर विचार।	01.04.2007	राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।	नवीन समय सीमा 30 अगस्त, 2007
	(v) शिक्षकों का स्थानांतरण/अन्य निकायों में संविलियन संलग्नीकरण			
	• स्थानांतरण पारदर्शी तरीके से एवं एक निर्धारित		सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई	

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
	समयसीमा में किये जाने चाहिए, वर्ष भर स्थानान्तरण नहीं किये जायें इसमें शिक्षकों की Performance appraisal को आधार बनाया जाये		स्थानांतरण नीति का पालन किया जा रहा है।	
	• कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण नीति से मुक्त नहीं किया जाये।		तदैव	
	(vi) शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यो में नियोजन।			
	• शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यों में नियोजन बिना राज्य शासन की अनुमति के न होने के प्रावधान का कड़ाई से पालन हो।	01.04.2007	जन शिक्षा अधिनियम के तहत पूर्व से ही प्रावधान है। कड़ाई से पालन करवाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 07 फरवरी 2007 में निर्देश जारी।	**परिशिष्ट–3**
4	**विज्ञान शिक्षा**		उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित।	
	(i) अकादमिक गुणवत्ता एवं शोध पर बल।		तदैव	
	(ii) प्रयोगशालाओं का निर्माण एवं उपकरणों का प्रदाय।		तदैव	
	(iii) ई–लायब्रेरी की स्थापना।		तदैव	
	(iv) विज्ञान विषयों में आदिवासी छात्रों के प्रवेश हेतु प्रोत्साहन योजना।		तदैव	
5	**रोजगारोन्मुखी शिक्षा**			
	(i) परंपरा के साथ–साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल।		तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित।	
	(ii) नियमित रूप से पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की समीक्षा एवं पुनरीक्षण हेतु विभागीय पहल।		तदैव	

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
	(iii) उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्योग से बेहतर समन्वय। तकनीकी संस्थाओं में अल्पवधि पाठयक्रम चलाये जाऐ।		तदैव	
	(iv) तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित प्लेसमेंट एजेन्सी को नियुक्त किया जाये।		तदैव	
6	**निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन**			
	(i) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देने पर विचार किया जाये तथा आवश्यक सुविधाएं दी जायें।		स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं।	
	(ii) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश/संचालन/प्रबंधन में निजी जनभागीदारी से प्रोत्साहित करना चाहिए, संस्थाओं के प्रबंधन एवं संचालन के निजी–जन भागीदारी को आमंत्रित करना चाहिए, आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए।		तदैव	
	(iii) सी.बी.एस.ई. शाला खोलने हेतु एन.ओ.सी. की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये।	01.04.2007	आदेश जारी किए जा रहे हैं।	नवीन समय सीमा 30 अगस्त, 2007
7	**अन्य अनुशंसाएं**			
	(i) खेलकूद को बढ़ावा			
	• विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं संसाधनों का समन्वित रूप से बेहतर उपयोग।		ग्रीष्म कालीन खेलकूद प्रशिक्षण सिविरों का आयोजन संयुक्त रूप से किए जाने विषयक निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र दिनांक 07.04.2007 द्वारा जारी किए गए हैं जिसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं संसाधनों के समन्वित उपयोग विषयक निर्देश निहित हैं।	**परिशिष्ट–7**

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
	• खेलकूद कार्यक्रमों का एकीकृत केलेण्डर बनाया जाये (स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण।		वर्ष 2007–08 में मंथन समूह की अनुशंसा के अनुरूप खेलकूद कार्यक्रमों का एकीकृत कलेण्डर जारी किया गया है।	**परिशिष्ट–8**
	• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम में एक खेल का मैदान अनिवार्यतः बनाया जाये। जहॉ शाला भूमि में अतिक्रमण है उसे हटवाया जाये।		आयुक्त, लोक शिक्षण के परिपत्र क्र. शा.शि./ई/मंथन/2007/281, दिनांक 19.04.07 द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।	**परिशिष्ट–9**
	(ii) शाला पूर्व शिक्षा का सुदृढीकरण			
	• शाला पूर्व शिक्षा के लिये आंगनवाड़ी केन्द्रों को शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाये। आंगनवाडी तथा शाला का समय एक ही होना चाहिए। नवीन ऑगनवाड़ी भवन प्राथमिक शाला परिसर में बनाया जाए।		मंथन समूह के उक्त अनुशंसा के अनुरूप प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं महिला बाल विकास के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम की आंगनबाड़ी तथा शाला का समय एक ही रखने के लिए आदेश दिनांक 09.02.2007 जारी किया जा चुका है। शाला परिसर में ही नवीन आंगनबाडी भवन निर्माण संबंधी निर्देश जारी करने के लिए आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र दिनांक 29.05.07 द्वारा संचालक महिला बाल विकास से अनुरोध किया जा चुका है।	**परिशिष्ट–10 एवं 11**
	(iii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे			
	• विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये शाला में प्रशिक्षित शिक्षक दिये जायें।		• शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण में इसे सम्मिलित किया गया है तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के सहयोग से शिक्षकों का 90 दिवसीय फाउण्डेशन कोर्स दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कराया जा रहा है। अभी तक 4934 शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक (मोबाईल स्त्रोत सलाहकार) की नियुक्ति मानदेय आधार पर समस्त जिलों के प्रत्येक	**परिशिष्ट–12**

क्र.	अनुशंसा	समयसीमा	की गई कार्यवाही	रिमार्क
			विकासखण्ड में सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक 313 विकासखण्डों में से 146 में नियुक्ति की जा चुकी है।	
	(iv) सांख्यिकी प्रकाशन			
	• शिक्षा से संबंधित सांख्यिकीयों को एकत्रित कर वार्षिक रूप से प्रकाशन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया जाए		आयुक्त, लोक शिक्षण को नोडल अधिकारी घोषित करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं।	नवीन समय सीमा 30 अगस्त, 2007

(जे.सी.भट्ट)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग